न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 224 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/244)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 13.09.2021

1. श्रीमती दाखी पुत्री रामा लोदा, निवासी रामफली, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री गोटू पिता रामा लोदा, निवासी खानजी का खेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार (भू.अ.) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री जे. पी. आमेटा – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अजयसिंह हाड़ा – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 **(बवक्त बहस अनुपस्थित)**
3. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार (भू. अ.) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ के प्रकरण क्रमांक / भू.अ. / प्रकरण संख्या / 13 / 2020 निर्णय दिनांक 03.03.2021

निर्णय

दिनांक 13.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार (भू.अ.), कपासन के प्रकरण क्रमांक / भू.अ. / प्रकरण संख्या / 13 / 2020 निर्णय दिनांक 03.03.2021 के

विरूद्ध दिनांक 05.04.2021 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र दिनांक 23.10.2020 प्रेषित कर नामांतरण संख्या 61 दिनांक 01.10.2020 को खारिज कराने बाबत निवेदन किया गया। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 28.10.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन को मूल ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करा की गई कार्यवाही से जिला कार्यालय एवं प्रार्थी को सीधे ही अवगत कराने हेतु निर्देशित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपने प्रकरण संख्या क्रमांक/भू.अ./प्रकरण संख्या/13/2020 निर्णय दिनांक 03.03.2021 से अपीलांट के नाम दर्ज नामांतरण संख्या 61 दिनांक 01.10.2020 को निरस्त किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 03.03.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— *"प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी गोटू द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का हमने मनन किया जिसके क्रम में यह है कि जहां स्वयं वसीयत ग्रहिता द्वारा वसीयत के आधार पर उसी संपति पर नामांतरण की कार्यवाही करा रही हो जहां वह संपति/आराजीयात किसी उच्च अधिकार वाले न्यायालय में विचाराधीन हो तो वहां अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार सीमित हो जाता है। जैसा कि वसीयत ग्रहिता द्वारा उक्त वाद में वसीयतकर्ता शम्भु को भी पक्षकार बनाया गया है और वाद पत्र के बिन्दु संख्या 02 एवं बिन्दु संख्या 06 में अप्रार्थी शम्भु पिता रामा एवं गोटू पिता रामा को वादियां के अधिकारों को हनन करके पैतृक भूमि अपने नाम करायें जाने के तथ्य अंकित किये है।*

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आर. आर. टी. 2003 के माननीय उच्च न्यायालय एस. बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 1033 से 1336/2001 निर्णित दिनांक 12 जनवरी 2003 की प्रति पेश की जिसमें यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 19956 की धारा 136 नामांतरकरण कार्यवाहियां राजस्व (कर) संबंधित प्रविष्टियां जैसे कि नामांतरकरण कोई

हित या स्वामित्व उत्पन्न नही करती है, संपत्ति में ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक वसीयत या गोद द्वारा नामांतरकरण कार्यवाहियों में निश्चय किया जा सकता है और पक्षकारों का स्वामित्व स्थापित करने के लिए उचित संस्थानों में जाना होगा। वसीयत की वैद्यता की जांच सक्षम न्यायालय में ही की जा सकती है जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो से यह स्पष्ट होता है एवं स्थायी हक/अधिकारों की घोषणा भी उचित संस्थान में वाद दायर कर कार्यवाही की जा सकती है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथाकथित वसीयत विलेख के आधार पर दर्ज किया गया नामांतरकरण संख्या 61 निरस्त किया जाता है एवं अप्रार्थी तथाकथित वसीयत के आधार पर नामांतरकरण कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगा।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री जे. पी. आमेटा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अजयसिंह हाड़ा बवक्त बहस अनुपस्थित व रेस्पाडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री मुरलीधर पालीवाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को अपना पक्ष रखने तथा अपनी ओर से विस्तृत बहस, दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका नही दिया गया है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा नामांतरण संख्या 61 को बिना विधिवत चैलेंज किये केवल मात्र जिला कलक्टर को प्रेषित पत्र के आधार पर प्रकरण संस्थित मान उस पर कार्यवाही की गई, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा या उसके परिजन द्वारा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसियत विलेख दिनांक 06.01.1999 को आज दिनांक तक किसी भी न्यायालय में चैलेंज नही किया है ना ही उक्त वसियत को खारिज किये जाने बाबत किसी प्रकार का कोई वाद न्यायालय में प्रस्तुत

किया है। बिना मूल दस्तावेज को शुन्य/खारिज घोषित कराये बगैर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंजीकृत दस्तावेज को अपने आप में शुन्य मानते हुए उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट आज भी मौके पर काबिज होकर उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहा है तथा विपक्षी संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तथ्य वास्तविकता से परे होकर दस्तावेजी साक्ष्य नही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य को हुबहु सही मानते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आर्बिटरी बेड इन लॉ, व प्राकृतिक न्याय सिद्धांत से परे होने से निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन द्वारा दिनांक 03.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि इस प्रकरण में मृतक शम्भु की मृत्यु के बाद उसके भाई गोटू रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 विरासत से नामान्तरकण चाहता था, वहीं अपीलाण्ट वसीयत के आधार पर नामान्तकरण चाहती है। प्रकरण में समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमियां अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट के पिता रामा के समय की होने के आधार पर अपीलाण्ट दाखी द्वारा अपनी बहिन नारायणी के साथ वाद संख्या 77/2019 सहायक कलक्टर, कपासन के यहां दर्ज करवा रखा है जिसमें यह वर्णित किया है कि भूमियां मृतक रामाजी के समय की होने के बाद उसकी पुत्रियां होने के बावजूद भूमियां गोटू रेस्पोंडेण्ट व मृतक शम्भु के नाम दर्ज कर दी गयी है तथा रामा की पुत्रियों को वंचित किया गया। यह वाद–पत्र इस प्रकरण से सुसंगत होना नहीं माना जा सकता परन्तु वादियां द्वारा एक अन्य वाद संख्या 62/2020 जिसकी प्रमाणित प्रतियां अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है, उसमें वादिया दाखी द्वारा गोटू के विरूद्ध एक वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें शंभू की वसीयत के

आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है जिसकी आदेशिका के अनुसार वाद–पत्र दिनांक 14.10.2020 को दर्ज होकर दिनांक 27.01.2021 तक की तारीख पेशियां अंकित है। स्पष्टतः दाखी अपीलाण्ट द्वारा वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत कर रखा है। वादियां स्वयं द्वारा जब घोषणात्मक वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जिससे पक्षकारों के विरासत, वसीयत से हक, अधिकारों का निर्णय होना है तो फिर नामान्तकरण जो कि फिसकल प्रक्रिया होती है, उसमें पक्षकारों के हक, अधिकारों का निर्णय किये जाने का कोई औचित्य नहीं है एवं वाद की कार्यवाही नामान्तकरण की कार्यवाही पर सर्वोच्चता रखती है क्योंकि वाद पूर्व से ही लम्बित है अतएवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन विवेचन के साथ निर्णय किया है, वह विधिक रूप से उचित है। अपीलाण्ट द्वारा जो अपील उजरात लिये गये है, उसमें वसीयत की वैद्यता को उचित नहीं होना अंकित करवाया है तथा वसीयत को नहीं मानने का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय को अनुचित बताया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद जब अपीलाण्ट स्वयं प्रस्तुत कर चुकी है तो वाद के स्थान पर प्राकृतिक उत्तराधिकार पर वसीयत से संबंधित खातेदारी पर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय करने का न तो अधिकारिता है, न ही विधिक है, तद्नुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं पाते। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर